

पत्रांक: न-20/असुव्य (16)/2024
सेवा में,

दिनांक: मार्च 07, 2024

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

Doon Public Academy

Charba Road Laxmipur, Vikashnagar

जनपद-देहरादून।

सन्दर्भ:-

शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं०-38972594 दिनांक 25.02.2024 के द्वारा Doon Public Academy, Charba Road Laxmipur Vikashnagar, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी विकासनगर द्वारा किया गया। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी विकासनगर की निरीक्षण आख्या दिनांक 07.03.2024 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः Doon Public Academy, Charba Road Laxmipur Vikashnagar, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 07 मार्च 2024 से 06 मार्च 2027 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

1. प्रश्नगत भवन के टैरिस में 01 अदद फायर पम्प (450 एल.पी.एम. क्षमता) का प्राविधान 30 दिवस (01 माह) के भीतर करवाकर इस कार्यालय को अवगत कराना आवश्यक होगा, अन्यथा अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।
2. प्रश्नगत भवन का मानचित्र शैक्षणिक भवन (भूतल एवं प्रथम तल) में स्वीकृत है। यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन का उपयोग अन्य प्रयोजन (हॉस्पिटल/नर्सिंग होम आदि) हेतु किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियों सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए। इमरजेन्सी साईन एक्जिट, पावर बैक अप के साथ रहेगी।
4. शैक्षणिक भवन भवन में कार्यरत सभी कर्मचारियों/विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है। समय-समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों/यंत्रों का निरीक्षण/परीक्षण करते हुए सदैव कार्यशील रखेंगे, तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल करते रहेगे।
5. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन/प्रधानाचार्य की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन/प्रधानाचार्य को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
6. भवन/संस्थान में विद्युत यंत्रों की स्थापना वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
7. भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
8. भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में 300ओ000 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
9. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।

(वी० बी० यादव)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।